(43)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

## सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/1275 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 701/अपील/2009—10.

.....

1—नारायण सिंह
2—भारतसुमन
3—राकेश तीनों पुत्रगण
स्व0 श्री खैरसिंह रावत
निवासीगण ग्राम सिंहनिवास तहसील
एवं जिला शिवपुरी म0 प्र0 ———आवेदकगण

विरूद्ध

1—पदम सिंह पुत्र स्व0 खैरसिंह रावत (फौत)
वरिसान :—
अ—श्रीमती जानकी बाई पत्नी स्व0 पदम सिंह
ब—कृष्णपाल सिंह पुत्र स्व0 पदम सिंह
स—मुकेश पुत्र स्व0 पदम सिंह
निवासीगण सर्किट हाऊस रोड
शिवपुरी म0 प्र0
द—ऊषा पुत्री स्व0 पदम सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
निवासी टोंगरा रोउ फतेहपुर शिवपुरी म0 प्र0
इ—गायत्री पुत्र स्व0 पदम सिंह पत्नी जवाहर सिंह
निवासी नमोनगर कालोनी ग्वालियर बाईपास
शिवपुरी म0 प्र0
2—श्रीमती कमलाबाई पत्नि स्व0 बाबूलाल उर्फ
वीरेन्द्र राव निवासीगण ग्राम सिंहनिवास
तहसील एव जिला शिवपुरी म0 प्र0
3—मुस0 कलाबाई बेवा स्व0 खैरसिंह रावत
निवासी ग्राम सिंहनिवास तहसील
एवं जिला शिवपुरी म0 प्र0 ———अनावेदकगण

.....

श्री जी0 पी0 नायक, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक अना.–1
के वारिसान की ओर से
अनावेदक कमांक–2 एक पक्षीय है।
अनावेदक कमांक–3 तरतीवी पक्षकार है।

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 2/04/19 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील शिवपुरी के ग्राम सिंहनिवास में स्थित प्रश्नाधीन भूमि खाता कमांक 170 सर्वे कमांक 45, 73, 416, 622, 668, 687, 735, 755, 909, 1354, 1356, 1635, 1648, कुल किता 13 कुल रकवा 13.63 हैक्टेयर एवं खाता कमांक 451 सर्वे कमांक 08, 673, 1311, 1313, कुल किता 04 कुल रकबा 7.18 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी खैरसिंह उर्फ केहर सिंह पुत्र परसुराम रावत थे। खैरसिंह उर्फ केहरसिंह के फौत हो जाने के कारण आवेदकगण द्वारा बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण कराये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 36/अ–6/2009–10 पर पंजीवद्व करते हुये आदेश दिनांक 24.03.10 से बसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण के हक में नामांतरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24.3.10 से परिवेदित होकर अनावेदक कमांक–1 स्व0 श्री पदम सिंह एवं अनावेदक कमांक–3 कलाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 46/2009–10/अपील पर दर्ज होकर जिसमें

दिनांक 23.07.2010 से निरस्त की गई। अनावेदक–1 स्व0 श्री पदम सिंह द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रकरण क्रमांक 701/अपील/2009–10 पर दर्ज होकर दिनांक 30.12.17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3–अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 30.12.17 पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों से उचित नहीं है। अनावेदक कमांक–3 कलाबाई पत्नी स्व0 खैरसिंह द्वारा तहसील न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी शिवुपरी के न्यायालय में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा था। अपर आयुक्त के न्यायालय में जो नवीन पक्षकार जोड़े गये है वह उचित नहीं है। आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के अन्य भाई अनावेदक कमांक–1 स्व0 श्री पदम सिंह एवं बाबूलाल उर्फ वीरेन्द्र रावत अपने पिता खैरसिंह रावत से अपने जीवनकाल में ही स्वयं के हिस्से में 70 बीघा भूमि बटवारे में प्राप्त करके पिता से अलग हो गये थे। भविष्य में परिवार में किसी प्रकार की झगढ़ा झंझट न हो इस उद्वेश्य से आवेदकगण के स्व0 पिता श्री खैरसिंह रावत ने उपरोक्त उल्लेखित स्वयं के स्वत्व स्वामित्व की आवेदकगण के हिस्से पर प्राप्त होने वाली भूमि को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 21.08.07 के माध्यम से आवेदकगण को अपने जीवनकाल में ही प्रदान कर दी थी। आवेदकगण के पिता आवेदकगण के साथ ही निवास करते थे। दिनांक 30.12.09 को स्वर्गवासी हुये तदुपरांत आवेदकगण ने उक्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आवेदन स्वीकार करते हुये दिनांक 24.03.10 को नामांतरण के आदेश दिये। तर्क में यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय में जो पक्षकार नहीं थे उन्हें भी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा इश्तहार जारी किया गया था जिसकी सूचना थी किन्तु इसे अनदेखा करते हुये अपर आयुक्त ने आदेश में यह गलत निष्कर्ष निकालते हुये अपील स्वीकार करने में भूल की गई है। तर्क में यह भी कहा गया है कि जब तक पंजीकृत

वसीयतनामे को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं कराया जाता पंजीकृत बसीयत के आधार पर नामांत्रण किया जावेगा तथा पंजीकृत दस्तावेज को शून्यवत मानने अथवा शून्य करार देने की राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 30.12.17 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30.12.17 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

4–अनावेदक के वारिसान की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई। लेखी बहस में उनके द्वारा लेख किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना इश्तहार जारी किये बिना अथवा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर न देते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 24.03.10 पारित करते हुये फर्जी वसीयतनामा दिनांक 21.08.07 के अनुसार आवेदकगण के हक में नामांतरण स्वीकार कर लिया। जबकि वसीयत को प्रोवेट कराये बिना तहसीलदार शिवपुरी को उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं करना चाहिये था, क्यों कि वसीयत में उत्तराधिकार में एक से अधिक नाम होने पर मान0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रोवेट प्रदान किया जाता है, जो कि आवेदकगण ने नहीं कराया। तर्क में यह भी कहा गया है कि फर्जी वसीयतनामा तहसीलदार शिवपुरी के न्यायालय में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें भी स्व0 खैरसिंह रावत के सभी वारिसानों के नाम लिखे हुये है इसके बाद भी तहसीलदार शिवपुरी ने सभी वारिसानों को पुस्तैनी भूमि होने के बाद भी इश्तहार जारी करना तथा वारिसानों को सूचना देना तथा उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देना तथा उक्त फर्जी वसीयत को प्रोबेट कराना आवश्यक नहीं समझा। तहसीलदार के आदेश दिनांक 24.3.10 के अध्ययन किये बिना अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने अभिलेखों का अध्ययन किये बिना अपना आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की है इसीलिये अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा उस आदेश को निरस्त किया गया है जो विधि अनुसार सही है। लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अनावेदक कमांक–1 स्व0 पदम सिंह की अपील स्वीकार की गई है तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 551/2017–18/अ–6(2) पंजीबद्ध

कर उसमें आदेश दिनांक 5.2.18 पारित कर सभी वारिसानों का समान भाग पर नामांतरण स्वीकार किया गया। जिस आदेश को छिपाकर अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.12.17 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5.2.18 द्वारा अनावेदक कमांक–1 के वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में आ चुका है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 5.2.18 आज भी स्थिर है उसके विरूद्व किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 30.12.17 स्थिर रखने का निवेदन किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण बसीयतनामा के आधार पर प्रकरण प्रारंभ किया गया है तब विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम हितबद्व पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिये था। साक्षियों द्वारा दिये गये कथनों पर कूट परीक्षण किये बगैर बसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आ चुका था कि बसीयतकर्ता के दो पुत्र और एक पुत्री और है, जिन्हें बसीयतनाम से वंचित किया गया है इस स्थिति में वे भी आवश्यक पक्षकार थे। उन्हें सुना जाना आवश्यक था। यह सर्वमान्य सिद्वांत है कि बिना कूट परीक्षण किये कथन या साक्ष्य प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा इन तथ्यों पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है, और तहसीलदार का आदेश दिनांक 24.03.10 को स्थिर रखने में विधि की भूल की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 24.03.10 एवं अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 23.07.10 अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 30.12.17 से अपील स्वीकार करते हुये समान भाग पर नामांतरण करने के आदेश दिये गये थे जिसका पालन तहसीलदार तहसील शिवपुरी द्वारा

प्रकरण कमांक 551/2017–18/अ–6 (2) में पारित आदेश दिनांक 5.2.18 द्वारा समस्त वारिसानों को एवं आवेदकगण एवं अनावेदकगण को समान भाग पर नामांतरण करने के आदेश दिये गये है, जबकि इस आदेश की जानकारी आवेदकगण को थी लेकिन उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 30.12.17 के विरूद्व इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी, जबकि यह भली भांति जानते थे कि तहसीलदार द्वारा समान भाग पर नामांतरण के आदेश पारित किये जा चुके है। आवेदकगण इस न्यायालय में स्वच्छ हाथों से न्यायदान के लिये नहीं आये है। अतः अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.12.17 के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 30.12.17 स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का प्रकरण कमांक 701/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.12.17 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर